

अनुबंध



## अनुबंध - 1.1

(पैरा 1.2 के संदर्भ में)

### खाद्य प्राधिकरण की संरचना

खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा निम्नलिखित बाईस सदस्य होते हैं, जिसमें, एक-तिहाई महिलाएं होनी चाहिए :

क. सात सदस्यों, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो तथा जो क्रमशः केन्द्र सरकार के निम्नलिखित विषयों से संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों, की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है।

- i. कृषि,
  - ii. वाणिज्य,
  - iii. उपभोक्ता मामले,
  - iv. खाद्य प्रसंस्करण,
  - v. स्वास्थ्य,
  - vi. वैधानिक मामले तथा
  - vii. लघु उद्योग,
- तथा जो पदेन सदस्य होंगे;

ख. खाद्य उद्योग से दो प्रतिनिधि जिनमें से एक लघु उद्योगों से हो;

ग. उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि;

घ. तीन ख्याति प्राप्त खाद्य प्रौद्योगिकीविद या वैज्ञानिक;

ङ. प्रत्येक तीन वर्षों में आवर्तन आधार पर नियुक्त किये जाने वाले पाँच सदस्य जिनमें से प्रत्येक, राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से क्रमानुसार होगा;

च. कृषक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति;

छ. फुटकर व्यापारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति।

## अनुबंध-1.2

### (पैरा 1.3 के संदर्भ में)

#### एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित नियम और विनियम (दिसंबर 2016 तक)

- खाद्य संरक्षा तथा मानक नियमावली, 2011,
- 2013 और 2016 में संशोधित खाद्य संरक्षा तथा मानक (खाद्य व्यवसाय की लाईसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011,
- 2016 में संशोधित खाद्य संरक्षा तथा मानक (पैकेजिंग तथा लेबलिंग) विनियम, 2011,
- समय-समय पर संशोधित खाद्य संरक्षा तथा मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011,
- खाद्य संरक्षा तथा मानक (संदूषक, विषैले पदार्थ तथा अवशिष्ट) विनियम, 2011,
- खाद्य संरक्षा तथा मानक (बिक्री पर निषेध तथा प्रतिबंध) विनियम, 2011,
- खाद्य संरक्षा तथा मानक (प्रयोगशाला तथा नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011,
- 2016 में संशोधित खाद्य संरक्षा तथा मानक (अपनी बैठकों में कार्यवाही का संव्यवहार) विनियम, 2010,
- 2015 और 2016 में संशोधित खाद्य संरक्षा तथा मानक (केन्द्रीय सलाहकार समिति की कार्यवाही के संव्यवहार की प्रक्रिया) विनियम, 2010,
- 2016 में संशोधित खाद्य संरक्षा तथा मानक (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2010,
- भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2013, तथा
- खाद्य संरक्षा तथा मानक (स्वास्थ्य अनुपूरकों के लिए खाद्य, पौष्टिक-औषधीय पदार्थ, विशेष आहार उपयोग हेतु खाद्य, विशेष चिकित्सकीय उद्देश्य के लिए खाद्य, कार्यात्मक खाद्य, तथा आर्दश खाद्य) विनियम, 2015.

## अनुबंध -1.3

(पैरा 1.4.2 एवं 1.4.3 के संदर्भ में)

नमूना चयन<sup>1</sup>

(क) लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु चयनित राज्यों, यूटी, एफएसएसएआई के क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण

चयनित राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र		खाद्य प्राधिकरण के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ/एसआरओ)	
		क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)	उप-क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ) <sup>2</sup>
असम	दिल्ली (यूटी)	आरओ मुम्बई	एसआरओ चंडीगढ़
पश्चिम बंगाल	हरियाणा	आरओ चेन्नई	एसआरओ लखनऊ
ओड़िशा	हिमाचल प्रदेश	आरओ दिल्ली	
महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	आरओ कोलकाता	
गुजरात	तमिलनाडु	आरओ गुवाहाटी	

(ख) लेखापरीक्षा में चयनित जिलों का विवरण

राज्य	जिला	जांच परीक्षित लाईसेंसों की सं.	नमूना परीक्षित पंजीकरणों की सं.	नमूना परीक्षित खाद्य नमूनों की सं.
असम	डिब्रूगढ़	145	18	117
	गोलाघाट	148	36	87
	जोरहाट	165	35	121
	कामरूप	162	42	125
	नागांव	160	55	119
<b>कुल</b>		<b>780</b>	<b>186</b>	<b>569</b>
दिल्ली	पूर्वी	120	30	125
	पश्चिम	120	30	125
	दक्षिणी	120	30	125
<b>कुल</b>		<b>360</b>	<b>90</b>	<b>375</b>

<sup>1</sup> जिले जहां लाईसेंसों, पंजीकरणों, खाद्य नमूनों तथा आयात के लिए उपलब्ध मामलों की संख्या निर्धारित नमूना आकारों की तुलना में कम थे, उपलब्ध मामलों की वास्तविक संख्या इसी प्रयोजन के लिए चयनित की गयी थीं।

<sup>2</sup> 31 मार्च 2016 तक की स्थिति। अप्रैल 2016 में, एफएसएसएआई ने चंडीगढ़ एवं लखनऊ के उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद कर, उनके कार्यों को क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया था।

गुजरात	अहमदाबाद	200	50	125
	आनंद	200	50	125
	बनासकंठा	160	50	125
	दाहोड़	191	50	125
	जूनागढ़	196	50	125
	राजकोट नगर निगम	160	40	125
	सूरत नगर निगम	160	40	125
<b>कुल</b>		<b>1267</b>	<b>330</b>	<b>875</b>
हरियाणा	अम्बाला	164	50	122
	फरीदाबाद	160	50	125
	गुरुग्राम	167	40	106
	सोनीपत	160	45	125
<b>कुल</b>		<b>651</b>	<b>185</b>	<b>478</b>
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	162	50	95
	सोलन	169	40	125
<b>कुल</b>		<b>331</b>	<b>90</b>	<b>220</b>
महाराष्ट्र	नागपुर	200	49	95
	भंडारा	200	50	77
	औरंगाबाद	200	50	27
	नासिक	200	50	41
	मुम्बई	200	45	53
	पुणे	200	50	30
<b>कुल</b>		<b>1200</b>	<b>294</b>	<b>323</b>
ओडिशा	बालासोर	162	101	19
	देवगढ़	33	5	0
	कंधमल	106	102	15
	केन्द्रपाड़ा	152	103	15
	झारसुगुड़ा	161	43	5
	मयूरभंज	160	100	23
<b>कुल</b>		<b>774</b>	<b>454</b>	<b>77</b>
तमिलनाडु	चैन्नई	200	40	100
	कोयम्बटुर	178	40	108
	सलेम	160	40	113
	थेनी	160	50	71
	तिरुनेलवेली	160	50	70

	त्रिची	160	50	60
	<b>कुल</b>	<b>1018</b>	<b>270</b>	<b>522</b>
<b>उत्तर प्रदेश</b>	वाराणसी	167	40	125
	आगरा	160	40	125
	चंदौली	181	40	125
	बदायूं	160	40	125
	गौतम बुद्ध नगर	172	40	125
	हथरस	160	40	125
	कानपुर नगर	120	30	125
	लखीमपुर खेड़ी	160	40	125
	सीतापुर	160	40	125
	रायबरेली	200	40	125
	<b>कुल</b>	<b>1640</b>	<b>390</b>	<b>1250</b>
<b>पश्चिम बंगाल</b>	दार्जिलिंग	160	100	91
	कोलकाता	161	100	91
	पश्चिम मेदिनीपुर	163	111	1
	पुरुलिया	196	125	13
	<b>कुल</b>	<b>680</b>	<b>436</b>	<b>196</b>

(ग) लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षित राज्य/लोक प्रयोगशालाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परीक्षित प्रयोगशाला की संख्या	प्रयोगशालाओं का नाम
1.	असम	1	राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, गुवाहाटी
2.	दिल्ली	1	संयुक्त खाद्य एवं औषध प्रयोगशाला, दिल्ली
3.	गुजरात	3	खाद्य एवं औषध प्रयोगशाला, बडोदरा लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अहमदाबाद लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सूरत
4.	हरियाणा	2	(i) जिला खाद्य प्रयोगशाला, सिविल अस्पताल, करनाल (ii) राज्य खाद्य, जल एवं उत्पाद शुल्क प्रयोगशाला, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़
5.	हिमाचल प्रदेश	1	समग्र परीक्षण प्रयोगशाला, कंडाघाट, सोलन
6.	महाराष्ट्र	4	मुम्बई, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर
7.	ओडिशा	1	राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, भुवनेश्वर

8.	तमिलनाडु	2	मदुरै तथा सलेम
9.	उत्तर प्रदेश	3	क्षेत्रीय लोक विश्लेषक प्रयोगशाला, आगरा एवं वाराणसी तथा राज्य प्रयोगशाला, लखनऊ
10	पश्चिम बंगाल	2	लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोलकाता केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता
कुल		20	

(घ) लेखापरीक्षा के लिए चयनित पत्तनों का विवरण

क्षेत्र का नाम	चयनित पत्तन का नाम	चयनित नमूनों की सं.
कोलकाता	कोलकाता समुद्र पत्तन, हल्दिया समुद्र पत्तन	500
मुम्बई	जेएनपीटी, मुम्बई एयर कार्गो	409
दिल्ली	आईजीआई एयरपोर्ट, आईसीडी तुगलकाबाद	496
चैन्नई	सीमा शुल्क भवन चैन्नई, सीमा शुल्क भवन कोचीन	400

## अनुबंध-5.1

(पैरा - 5.2 के संदर्भ में)

दिसंबर 2016 को एफएसएसएआई में कर्मचारियों की तैनाती:

श्रेणी	स्वीकृत पद	आमेलित*/सीधी भर्ती	मानित प्रतिनियुक्ति*	प्रतिनियुक्ति	अनुबंधित कर्मचारी#
गुप क	139	20	1	36	13
गुप ख	125	04	10	01	110
गुप ग	92	01	42	0	82
कुल	356	25	53@	37	205

\* इन दो श्रेणियों से कर्मचारियों ने अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों से एफएसएसएआई में कार्यग्रहण किया। अंतर यह है कि बाद वाली श्रेणी में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने एफएसएसएआई में आमेलन के विकल्प को नहीं चुना था।

# केवल अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होता है जिनके सकल वेतन स्वीकृत पदों के अनुरूप हैं। 18 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी तथा 38 आईटी/विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र कार्मिक जो विभिन्न परिलब्धियों पर कार्यरत थे शामिल नहीं हैं। परिणामस्वरूप, एफएसएसएआई में, 261 गैर-नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

@ अस्थायी पदों के प्रति नियुक्त दो व्यक्ति शामिल नहीं हैं।

